



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

**गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25,000/- रुपये का इनामिया अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक:-04.03.2023

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही एवम् वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 04.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री प्रकाश सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी लहरपुर श्री सुजीत दुबे के नेतृत्व में थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा 02 माह से वांछित चल रहे अभियुक्त छोटू उर्फ इम्तियाज पुत्र असगर उर्फ इसरार नि०ग्राम मियागंज कस्बा व थाना बिसवां जनपद सीतापुर को अंगेठा तिराहा के पास मोड़ बिसवां रोड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त शातिर अपराधी हैं जिसके विरुद्ध गैंग बनाकर गोवध जैसे आपराधिक कृत्य कारित करने के संबंध अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त थाना तालगांव के मु०अ०सं० 01/23 धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट में करीब 02 महीनो से वांछित चल रहा था जिसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा अभियुक्त पर 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान मा. न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्त का नाम पता- छोटू उर्फ इम्तियाज पुत्र असगर उर्फ इसरार नि०ग्राम मियागंज कस्बा व थाना बिसवां जनपद सीतापुर

अभियोग जिसमें अभियुक्त वांछित था:- मु०अ०सं० 001/2023 धारा 2/3 यू०पी०गैंगेस्टर एक्ट थाना तालगांव जनपद सीतापुर।

## आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 207/2020 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध नि0अधि01955 थाना तालगांव जनपद सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 321/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंग्स्टर एक्ट थाना तालगांव जनपद सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 194 / 2022 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध नि0अधि0 1955 थाना तालगांव
4. मु0अ0सं0 001/2023 धारा 2/3 यू0पी0 गैंग्स्टर एक्ट थाना तालगांव जनपद सीतापुर।

## पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह
2. का0 नीरज कुमार
3. का0 मनुज कुमार

